न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 02/2021 आवंटन नियम 14(4)

1. मोहन लाल पि.मु. भोंरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खवारावजी तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
2. मनोहरलाल पुत्र मोहन लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खवारावजी तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

..प्रार्थीगण

बनाम

1. गंगासहाय पुत्र नारायण जाति माली निवासी ग्राम खवारावजी तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) रा.अ.कृ.भू.आ.नियम 1970

उपस्थित–1. श्री उमेश गौड, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री ऋद्धि चंद शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः 25.01.2023

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 01.06.1989 को ग्राम खवारावजी के खसरा नंबर 4322 रकबा 15 एयर, खसरा नंबर 3921 रकबा 12 एयर व खसरा नंबर 3137/2 रकबा 20 एयर कुल किता 3 रकबा 47 एयर भूमि का आवंटन गंगासहाय पुत्र नारायण जाति माली को कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा इसी आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि भू आवंटन सलाहकार समिति दौसा द्वारा अप्रार्थी सं 1 के नाम दिनांक 01.06.1989 को पारित प्रश्नगत आवंटन आदेश आराजी खसरा नंबर 3137 रकबा 0.20है. वाके ग्राम खवारावजी तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा विधि प्रक्रिया, नियम, तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत है। भू आवंटन सलाहकार समिति दौसा के समक्ष अप्रार्थी सं0 1 ने भू आवंटन हेतु आवेदन किया जिसमें खसरा नंबर 3137 रकबा 43 एयर, खसरा नंबर 4322 रकबा 23 एयर एवं खसरा नंबर 3921 रकबा 12 एयर ग्राम खवारावजी में निजी वन हेतु भूमि आवंटन बाबत आवेदन किया। आवंटन आदेश में अपीलांट ने खातेदारी भूमि के तथ्य को छिपाया [illegible] आवंटन आवेदन का सत्यापन भी नहीं किया। इस प्रकार अप्रार्थी [illegible] अपूर्ण एवं अस्पष्ट है। अप्रार्थी सं0 1 ने काश्त हेतु आवंटन का आवेदन प्रस्तुत न कर [illegible] निजी [illegible] विकास हेतु आवेदन किया था। पटवारी हल्का ने अप्रार्थी की खातेदारी में 1.4[illegible] भूमि चाही बारानी होना खसरा नंबर 3726 गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण कर घर व पेड पौधे लगाना तथा गै0मु0 रास्ता की भूमि उदघोषणा जारी नहीं होने के प्रतिवेदन अंकित किया। पटवारी प्रतिवेदन के नीचे खसरा नंबर 4322 रकबा 15 एयर, खसरा नंबर 3921 रकबा 12 एयर व खसरा नंबर 3137 रकबा 20 एयर का अंकन किसके द्वारा किया गया, किसी

......निरंतर 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:24:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

के हस्ताक्षर नहीं है। आवंटन आवेदन में इन खसरा नंबर को निजी वन हेतु आवंटन का निवेदन अंकित है। भू आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 1.6.1989 को इस प्रार्थना पत्र के चरण सं0 2 में अंकित भूमियों जिनका अप्रार्थी ने निजी वन हेतु आवंटन चाहा गया था, के आवंटन हेतु सिफारिश कर दी। अप्रार्थी सं0 1 के आवेदन पत्र पर कोई ध्यान केन्द्रित नहीं किया कि अप्रार्थी सं01 निजी वन हेतु आवंटन चाहता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश काश्त हेतु भूमि आवंटन की करती है। जब अप्रार्थी सं0 1 ने काश्त हेतु भूमि आवंटन की प्रार्थना ही नहीं की गई तो आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश तथा तदनुसार उपखंड अधिकारी दौसा का आवंटन आदेश सर्वथा गलत है। राजस्थान सरकार द्वारा कृषि उपज बढाने हेतु राजकीय सिवायचक भूमि का आवंटन करने का उद्देश्य था। अप्रार्थी सं0 1 ने कृषि कार्य करने हेतु भूमि का आवंटन ही नहीं चाहा गया तथा आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश एवं उपखंड अधिकारी द्वारा कृषि हेतु आवंटन आदेश सर्वथा गलत है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आंख बंद कर सिफारिश कर दी तथा उपखंड अधिकारी ने आवंटन आवेदन को देखे बिना एवं विचार किये बिना प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम आवंटित आराजी खसरा नंबर 3137 मिन रकबा 20 एयर वाके ग्राम खवारावजी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3109 से लगती हुई छोटी पट्टी के रूप में स्थित है जिस पर अप्रार्थी सं0 1 का बाद आवंटन कभी कब्जा नहीं रहा न कभी काश्त हुई है। इस भूमि पर प्रार्थीगण के लगाये आवंला के 7 पेड, तथा नीम के 7 पेड स्थित है। आवंला के फलों से प्रार्थीगण लाभांवित होते है तथा इन पेडों की सार संभाल भी प्रार्थीगण ही करते है। अप्रार्थी सं0 1 का इन पेडों से कभी कोई संबंध नहीं रहा है। आवंटन नियमों की पालना नहीं करने के कारण भी अप्रार्थी के पक्ष में पारित आवंटन आदेश निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सं01 के नाम आवंटित भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3109 में मिली हुई है। अप्रार्थी सं0 1 ने धोखाधडी कर पटवारी हल्का से साज कर भूमि आवंटित कराई है तथा उक्त भूमि को विक्रय कर अनुचित लाभ उठाना चाहता है। अप्रार्थी सं01 का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये वृक्षों को भी विक्रय करना चाहता है। खसरा नंबर 3137 का रकबा 43 एयर था, उसे विखंडित कर फरमया गया आवंटन आदेश गलत है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में उक्त आराजी के आवंटन आदेश की जानकारी अब हुई है। भू आवंटन सलाहकार समिति दौसा द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश अनियमित, अनाधिकृत है जिसे चुनौती देने की समय सीमा निर्धारित नही है। अतः प्रा0पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार फरमाया जाकर भू आवंटन सलाहकार समिति दौसा द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के नाम दिनांक 1.6.1989 को पारित प्रश्नगत आवंटन आदेश निरस्त फरमाये जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में किया गया आवंटन विधि पूर्ण है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 1.6.1989 को ... की पूर्ण कोरम में किया गया था। आवंटी गंगासहाय पुत्र नारायण ... भूमि आवंटन हेतु विधिवत रूप से आवेदन पत्र भरकर प्रस्तुत किया गया था। आवेदन पत्र में खसरा नंबर 3137, 4322, 3921 का आवंटन चाहा गया ... भूमि के पश्चात कब्जा सुपुर्द किये जाने के दिन से ही प्रार्थी भूमि पर काबिज काश्त होकर लाभांवित चला आ रहा है। प्रार्थीगण का उक्त आवंटित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। आवंटन फार्म भरकर प्रस्तुत करने पर पटवारी हल्का ने आवेदन पत्र की जांच की गई है। पटवारी हल्का द्वारा आवेदन पत्र

......निरंतर 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:24:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official

की जांच कर रिपोर्ट अंकित की गई है जिसमें आवंटी के खाते में पूर्व में 1.15है. भूमि चाही व 0.39है. भूमि बारानी दर्ज है। उक्त भूमि आवंटन आवेदन पत्र पर भू अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं रहती है। आवंटन कमेटी द्वारा आवेदन की गहनता से जांच कर विधिपूर्ण तरीके से भूमि का आवंटन किया गया है। प्रार्थी का अप्रार्थीगण सं. 1 को आवंटित भूमि से किसी भी प्रकार का कोई संबंध/वास्ता नहीं है। प्रार्थी का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थी का कभी भी उक्त भूमि पर ना तो वर्तमान में कब्जा काश्त है और ना ही पूर्व में कभी रहा है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि का आवंटन मजमें आम मे किया गया है। प्रार्थी को उक्त भूमि आवंटन की जानकारी आवंटन की दिनांक से ही रही है किन्तु प्रार्थी ने वर्ष 1989 में हुए आवंटन को इतनी लंबी अवधि के बाद चुनौती दी गई है। उक्त लंबी अवधि बाद आवंटन आदेश को चुनौती दिये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी अंकित नहीं किया गया है। प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। भूमि का आवंटन पूर्ण प्रकिया अपनाते हुए विधिवत रूप से किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार का फ्रोड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा बोगस, मिथ्या एवं निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 को अत्यधिक विलंब से अर्थात भूमि आवंटन के लगभग 32 वर्ष बाद चुनौती दी गई है। साथ ही प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलंब से पेश किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया गया है। प्रार्थीगण का प्रश्नगत आवंटित भूमि पर कब्जा प्रमाणित नहीं होता है। भूमि आवंटन के बाद पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी सं. को आवंटित भूमि का कब्जा संभलाया गया है। अप्रार्थी सं. 1 को आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रश्नगत भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति दौसा कैम्प खवारावजी द्वारा दिनांक 1.6.1989 को अप्रार्थी गंगासहाय पुत्र नारायण माली निवासी खवारावजी को ग्राम खवारावजी तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान को ग्राम खवारावजी स्थित खसरा नंबर 3117 रकबा 13 एयर, खसरा नंबर 3136 रकबा 06 एयर व खसरा नंबर 3138 रकबा 08 एयर कुल किता 3 रकबा 27 एयर भूमि का आवंटन किया गया था। पत्रावली में संलग्न मूल आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवंटी कन्हैयालाल द्वारा भूमि आवंटन किये जाने हेतु आवेदन पत्र भरकर पेश किया गया था। भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र पर पटवारी हल्का की जांच आवेदन पत्र पर अंकित है। तत्पश्चात आवंटन कमेटी द्वारा भूमि का आवंटन मजमें आम में किया गया है। अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रश्नगत भूमि वर्तमान में खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र में यह कथन कि उनका प्रश्नगत भूमि पर पूर्व से आवंला व नीम के पेड लगाकर काबिज है जबकि उक्त कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण का यह कथन कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा

.....निरंतर 4 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:24:37 IST
Reason: SelfAttested

नंबर 3109 के लगती हुई अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित भूमि खसरा नंबर 3137 है, उक्त आवंटन आदेश की जानकारी प्रार्थीगण को लगभग 32 वर्ष तक खातेदारी भूमि के लगती हुई भूमि के आवंटन की जानकारी नहीं होना संदेहास्पद है। भूमि आवंटन आदेश दिनांक 1.6.1989 को लंबी अवधि बाद चुनौती दी गई है। अत्यधिक विलंब से आवंटन को निरस्त किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया गया है। साथ ही प्रार्थीगण यह तथ्य साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि प्रश्नगत भूमि पर उनका कभी कब्जा काश्त रहा हो या वर्तमान में कब्जा हो। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रश्नगत भूमि का आवंटन पूर्ण प्रकिया अपनाते हुए विधिवत रूप से किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार का फ्रोड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन किया जाना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 1.6. 1989 के द्वारा आवंटी गंगासहाय पुत्र नारायण जाति माली के पक्ष में ग्राम खवारावजी के खसरा नंबर 4322 रकबा 15 एयर, खसरा नंबर 3921 रकबा 12 एयर व खसरा नंबर 3137/2 रकबा 20 एयर कुल किता 3 रकबा 47 एयर भूमि का किया गया आवंटन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 25 जनवरी, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:24:37 IST
Reason: SelfAttested